कार्यालय जिला मिशन समन्वयक
समग्र शिक्षा,
जिला–बस्तर, जगदलपुर

शिक्षा का अधिकार
समग्र शिक्षा
सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा

आज़ादी का अमृत महोत्सव

EMail- mis.baster@gmail.com, Ph: 07782-221865

//ज्ञापन//

पद/मानदेय/शर्ते :–

समग्र शिक्षा के तहत् समावेशी शिक्षा अंतर्गत जिला संसाधन केन्द्र, जगदलपुर के लिये निम्न मे दर्शित पद हेतु एक वर्ष के लिए नियुक्ति दिनांक से 31/03/2024 तक मानदेय पर अस्थाई रूप से नियुक्ति की जानी है नियुक्ति हेतु योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र समस्त शैक्षणिक योग्यता एवं वांछित योग्यता सहित दिनांक 11/01/2024 तक (कार्यालयीन दिवस में) में संध्या 5:30 बजे **तक जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, संयुक्त कार्यालय भवन, कलेक्टर परिसर, जगदलपुर, जिला बस्तर** में जमा करें।

पदों का विवरण :–

क्र.	पदनाम	रिक्त पद संख्या व श्रेणी	एकमुश्त मासिक मानदेय
1	फिजियोथेरेपिस्ट	01 अनुसूचित जन जाति (मुक्त)	20000/–

शैक्षणिक अर्हताएं :–

1. फिजियोथेरेपिस्ट पद हेतु :–
    1. शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से बेचलर ऑफ फिजियोथेरेपी डिग्री कोर्स।
    2. छ.ग. फिजियोथेरेपी परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
    3. पद अनुरूप शासकीय कार्य के आधार पर अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी।

नियम एवं शर्ते :–

1. उक्त नियुक्ति 31 मार्च 2024 तक के लिये ही होगी, उसके पश्चात् सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी।
3. आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2024 की स्थिति में की जावेगी। उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्र में शासन के नियमानुसार अधिकतम आयु–सीमा में छूट का प्रावधान होगा।
4. यदि अभ्यार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमिलेयर) का हो तो, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगा। अभ्यार्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यार्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा विज्ञापन के तहत् दर्शित छूट (आयु/आरक्षण) का लाभ नहीं होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विवाहित महिला अभ्यार्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम अंकित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, एवं तद्नुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
6. छ.ग. सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यार्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
7. अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ग पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
8. राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यार्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

Scanned with CamScanner

9. आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश भी लागू होगा।
10. कोई भी अभ्यार्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा।
11. संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन द्वारा जारी नवीन प्रचलित संविदा नियुक्ति नियम 2012 में निहित शर्तो के अधीन होगी।
12. छ.ग. के मूल निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
14. इस नियुक्ति में निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय रू. 20000.00 प्रति माह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
15. उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने का संपूर्ण अधिकार होगा। यथास्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन/अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा।
16. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र को मान्य नहीं किया जावेगा।
17. नियुक्ति हेतु प्रकाशित पद के श्रेणी हेतु आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य श्रेणी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

चयन प्रक्रिया :–

1. अभ्यार्थियों के न्यूनतम अहर्तादायी परीक्षा में प्राप्त में प्राप्त अंकों का 85% एवं साक्षात्कार में पूर्णांक 15% (01 वर्ष तक का अनुभव को 5 अंक, 02 वर्ष तक का अनुभव को 10 अंक एवं 03 वर्ष से अधिक के अनुभव को 15 अंक) में से प्राप्त अंकों के योग में से मेरिट सूची तैयार की जावेगी जिसके आधार पर अभ्यार्थियों का चयन मेरिट अनुक्रम के आधार पर किया जावेगा।
2. चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अथ्यार्थी होने की स्थिति में जिस अथ्यार्थी की जन्मतिथि पहले की होगी उसका चयन किया जावेगा।

आवेदन प्रत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु नियमः–

1. आवेदन–पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों को स्व–प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा।
2. अपूर्ण एवं त्रूटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जायेगें। अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।
3. आवेदन के साथ अभ्यार्थियों को 27/– का डाक टिकट चस्पा किया हुआ स्वंय का वर्तमान निवास का पता लिखा दो लिफाफे संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं अन्य व्यवसायिक योग्यताएं ही मान्य होगी।
5. निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जावेगा।

आवेदन प्रत्र की उपलब्धता :– आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी बस्तर जिलें के वेबसाईट **www.bastar.gov.in** पर देखी जा सकती है। दावा आपत्ति/साक्षत्कार हेतु मेरिट सूची एवं चयन सूची भी वेब–साईट व कार्यालय पर देखी जा सकती है।

27.12.23

जिला मिशन समन्वयक
समग्र शिक्षा
जिला बस्तर, जगदलपुर

Scanned with CamScanner